

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या:-13/ 16

वर्ष 2016

जीसीएमएस संख्या:- (2016/00258)

बउनवानी:-1. भैरू पुत्र गोपी मीना निवासी बागडोली तह0 बाँली हाल निवासी बजीरनगर तहसील व जिला टोंक

बनाम

1. गंगालाल पुत्र मेवा जाति माली निवासी बागडोली तहसील बाँली
2. चैयरमेन अलोटमेंट कमेटी उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 11.7.1986 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थित:- 1. श्री रघुनन्दन सिंह राजावत
2. श्री तौफिक मोहम्मद

वकील प्रार्थी

वकील अप्रार्थी 1

-: निर्णय :-

दिनांक 27.2.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 11.7.1986 के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया किन्तु मूल अभिलेख उपजिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर एवं जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नहीं हो सका। विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि गोपी पुत्र रोडया जाति मीना निवासी बागडोली तहसील बाँली की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1329 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, ख0न0 1343 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 1345 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम बागडोली तहसील बाँली मे स्थित है जिसपर प्रार्थी का पूर्वजो के जमाने से रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार कब्जा चला आ रहा था प्रार्थी के पिता गोपी सन् 1969 मे ग्राम बागडोली छोडकर अपनी जमीन को साझे बाटे पर विपक्षी तथा रामजीलाल के पिता को देकर बजीरनगर जिला टोंक चला गया और जब भी फसल तैयार होती अपना हिस्सा काश्त साझा बांटा लेता रहा विपक्षी तथा उसका भाई हनुमान माली पुत्र मेवा माली तथा रामजीलाल मीना ने आपस में दिनांक 8.8.1969 को उप पंजीयन अधिकारी मलारना चौड से सांठ गांठ कर जैर आराजीयात अपने नाम दर्ज करवा ली लेकिन जैर भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की होने के कारण आवेदक एवं आवेदक का भाई हनुमान माली ने रेवेन्यू अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सांठ गांठ कर जैर आराजीयात का 1/2 हिस्सा धारा 175 राज.टी.एक्ट के तहत बिना खातेदार को नोटिस दिये व बिना सुनवायी किये जैर आराजीयात का 1/2 हिस्सा सिवायचक घोषित करवा लिया यह उल्लेखनीय है कि धारा 175 राज.टी.एक्ट की कोई पत्रावली रिकार्ड रूम अथवा तहसील स्थित रिकार्ड रूम अथवा न्यायालय हाजा मे उपलब्ध नहीं है ओर ना ही तहरीर मे निर्णय अथवा आदेश की दिनांक अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी एवं गलत है तत्पश्चात जैर आराजीयात का 1/2 भाग भूमि को विपक्षी व विपक्षी का भाई हनुमान माली ने गंगालाल माली के नाम से विपक्षी संख्या 2 से नियमों के विरुद्ध दिनांक 11.7.1985 को आवंटित कर दिया जिससे जैर आवंटन फ़ोड होने से खारिज होने योग्य है तथा शेष बची 1/2 हिस्सा जैर आराजीयात रामजीलाल मीना ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँली में एक वाद पत्र पेश कर प्रार्थी इकतरफा निर्णय करवाकर जैर आराजीयात का 1/2 हिस्सा अपने नाम करवा लिया जब गोपी अत्याधिक वृद्ध एवं अंधा हो जाने के कारण उसका पुत्र आवेदक अपनी खातेदारी की आराजीयात का अपना साझा बांटा हिस्सा लेने आये तब रामजीलाल मीना एवं विपक्षी ने हिस्सा देने से मना कर दिया तथा जैर आराजीयात को अपनी होना बताया जो चाराजोही करने पर सारी जानकारी हुई सो आवेदक ने रामजीलाल द्वारा प्राप्त की गयी एकतरफा डिक्री को चेलेन्ज किया तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँली द्वारा रामजीलाल का वाद पत्र दिनांक 15.2.2012 को निरस्त कर दिया तथा जैर विक्रय पत्र सन्देहास्पद पाया तथा आवेदक के कब्जाकाश्त मे माने मजाहमत ना करने के लिए रामजीलाल को पाबंद किया गया सो आवेदक द्वारा फर्जी रजिस्ट्री के संबंध में तथा आवश्यक नकले प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया गया लेकिन जैर कार्यवाही धारा 175 राज.टी.एक्ट की पत्रावली तथा आवंटन आदेश तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर आवंटन की नकले तहत तहसील बाँली तथा रिकार्ड रूम मे उपलब्ध ना होना बताया जाने पर सवाईमाधोपुर

.....(1).....

(सुप्रम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(निगरानी संख्या 13/2016 भैरू बनाम गंगालाल वगै.)


उपजिला कलेक्टर कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार मे भी काफी तलाश करवाने के बाद भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं हुई है। यह तर्क भी दिया कि ख0न0 1343 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 1345 रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम बागडोली तहसील बौली में आवेदक के पिता की खातेदारी भूमि थी जिसको षडयंत्र पूर्वक फर्जी रजिस्ट्री करवायी जाकर फिर षडयंत्रपूर्वक धारा 175 की कार्यवाही प्रार्थी के पिता को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही करवायी गयी है जिसमे केता हनुमान माली के भाई विपक्षी को जैर भूमि नियम विरुद्ध आवंटित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात के हाल ख0न0 3442/3717, 3443/3718 बने है। उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी की होने के कारण अन्य वर्ग के व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती है कथन के समर्थन में RRD1997 page 274-276 पेश किया गया। प्रार्थी के पिता की उक्त आराजीयात को हडपने की नियत से फ़ाड पूर्वक आवंटन करवाया गया है जो निरस्त योग्य है। आदेश जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी 22.3.2013 को प्रार्थी के वकील द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौली में चल रहे मुकदमा संख्या 59/07 के निर्णय दिनांक 15.3.2012 के दौरान बताये जाने पर हुई है। आदेश जैर निगरानी की नकले प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। यह निगरानी प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार विधिक त्रुटि नहीं है। यह तर्क भी दिया कि आवंटित भूमि आवंटन से पूर्व प्रार्थी के पिता गोपी की खातेदारी रही है किन्तु गोपी द्वारा उक्त भूमि का नियम विरुद्ध बैचान करने के कारण धारा 42 का उल्लंघन होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत उपजिला कलेक्टर द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि को सिवायचक घोषित कर उक्त भूमि पर मेरा कब्जा काश्त होने से मुझ अप्रार्थी को आवंटित की गयी है। उक्त आवंटित भूमि पर मुझ अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है इसलिए अब आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। कथन के समर्थन में RRT2017(2) page 972-976 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि आवंटन के लगभग 30 वर्ष बाद निगरानी पेश की गयी है जो मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है कथन के समर्थन मे RRT2016(1) page 718-720 पेश किया गया। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि का आवंटन इसलिए गलत बताया है कि उक्त भूमि का प्रार्थी के पिता द्वारा अवैध बैचान कर दिये जाने के कारण उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत उप जिला कलेक्टर द्वारा सिवायचक की जाकर अप्रार्थी को आवंटित की गयी है। जब आवंटन के समय भूमि सिवायचक है ओर उस पर आवंटी का कब्जा है तो प्रार्थी को उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने क्या अधिकार रह जाता है। जहाँ तक अवैध बैचान होने एवं धारा 175 की कार्यवाही मे सुनवायी का अधिकार नहीं दिये जाने का प्रश्न है तो उसके लिए प्रार्थी को पृथक से सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करना चाहिए। चूंकि आदेश जैर निगरानी से संबंधित भूमि आवंटन के समय सिवायचक थी एवं सिवायचक भूमि को किसी भी वर्ग के व्यक्ति को आवंटित किये जाने मे कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः यदि उक्त आवंटन अवैध होने की श्रेणी मे आता है तो इसको निरस्त करवाने हेतु संबंधित तहसीलदार को निगरानी पेश की जानी चाहिए। यदि तत्समय कोई रजिस्ट्री फर्जी की गई और इसके आधार पर वादी पक्ष का आवंटन निरस्त होने के कारण अप्रार्थी के नाम भूमि अलोट की गयी है, तो प्रार्थी को सर्वप्रथम उस रजिस्ट्री को निरस्त कराने की कार्यवाही कर आवंटन निरस्ती का आदेश खारिज कराया जाना चाहिए था, ताकि भूमि सिवायचक न होकर वादी के नाम पर दर्ज होती। ऐसा करने की बजाय प्रार्थी द्वारा सिवायचक भूमि के अप्रार्थी को किये गए आवंटन को बार-बार चैलेन्ज किया जा रहा है जो सही नहीं है। इस प्रकरण में आवंटन के समय आवंटित भूमि सिवायचक थी इसलिए प्रार्थी को उक्त आवंटन निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2025 को लिखवाया खुले न्यायालय में जाकर सुनाया गया।


(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर